सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आषाढ़ 05, सोमवार, *शाके* 1945-जून 26, 2023

Asadha 05, Monday , Saka 1945- June 26, 2023

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

जयपुर, जून 13, 2023

संख्या राविविआ / सचिव / विनियम / 148 :-विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 36) की धारा 86(1) (ई) के साथ पठित धारा 181 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. लघु शीर्षक तथा प्रारम्भणः

(i) इन विनियमों को राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय क्रय बाध्यता) विनियम, 2023 कहा जायेगा और शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन के पश्चात्, 01.04.2024 से प्रवृत्त होंगे।

(ii) 01.04.2024 से पूर्व की अवधि के लिये, राविविआ (अक्षय ऊर्जा बाध्यता) विनियम, 2007 और अन्य प्रासंगिक विनियमों, समय-समय पर यथा संशोधित, में यथा विनिर्दिष्ट अक्षय ऊर्जा बाध्यता लागू रहेगी।

2. परिभाषायें:

जब तक कि सन्दर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में,

(i) "अधिनियम' का तात्पर्य उसके संशोधनों सहित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 36) से है,

(ii) "आयोग" का तात्पर्य राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग से है,

(iii) "कैप्टिव विद्युत संयंत्र" या "सीपीपीं" का तात्पर्य वही होगा जो राविविआ (सीपीपी) विनियम, 2010, समय-समय पर यथा संशोधित में समनुदिष्ट/नियत है;

(iv) "अक्षय ऊर्जा" या "आरई" का तात्पर्य नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादित ऊर्जा है;

(v) "नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत" का तात्पर्य ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से है जैसे कि जल, पवन, सूर्य की रोशनी, बायोमॉस, खोई (bagasse). नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट और समय-समय पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित अन्य ऐसे स्त्रोत और इसमें सह-उत्पादन सम्मिलित होगा;

(vi) उन सभी अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों जो इन विनियमों में प्रकट हो रहे हैं और इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं, का तात्पर्य वहीं होगा जो उन्हें निम्नलिखित क्रम में समनुदिष्ट/नियत है:

(क) राविविआ (अक्षय ऊर्जा स्त्रातो से टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2020, समय-समय पर यथा संशोधित

(ख) राविविआ (सीपीपी) विनियम, 2007, समय-समय पर यथा संशोधित

(ग) राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (खुला अभिगमन के लिये निबंधन और शर्तें) विनियम, 2016, समय-समय पर संशोधित

(घ) राविविआ (अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र तथा अक्षय क्रय बाध्यता अनुपालन ढाँचा) विनियम, 2010, समय-समय पर यथा संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003, समय-समय पर यथा संशोधित

(ङ) विद्यत अधिनियम, 2003, समय-समय पर यथा संशोधित

3. प्रयोज्यताः

ये विनियम निम्नलिखित के लिये प्रयोज्य होंगे-

I. संभावित अनुज्ञप्तिधारी सहित वितरण अनुज्ञप्तिधारी,

II. खुला अभिगम उपभोक्ता;

III. एक मेगावाट और अधिक स्थापित क्षमता का कॅप्टिव विद्युत संयंत्र (सीपीपी)

4. वचनबद्ध इकाइयों के लिये न्यूनतम अक्षय क्रय बाध्यता निम्न प्रकार होगी:

(1) मानित अनुज्ञप्तिधारी सहित वितरण अनुज्ञप्तिधारीः

क्र. सं.	वर्ष	पवन अक्षय क्रय बाध्यता	पनं विद्युत क्रय बाध्यता	अन्य अक्षय क्रय बाध्यता	कुल अक्षय क्रय बाध्यता
1	2024-25	2.46%	1.08%	26.37%	29.91%
2	2025-26	3.36%	1.48%	28.17%	33.01%
3	2026-27	4.29%	1.80%	29.86%	35.95%
4	2027-28	5.23%	2.15%	31.43%	38.81%

5	2028-29	6.16%	2.51%	32.69%	41.36%
6	2029-30	6.94%	2.82%	33.57%	43.33%

बशर्ते कि आरपीओ की पूर्ति 31.03.2022 तक प्रारम्भ हुयी पवन विद्युत परियोजनाओं (डब्ल्यूपीपी) से 7% से अधिक पवन ऊर्जा से उपभोग और 31.03.2022 के पश्चात् प्रारम्भ हुयी पवन विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा द्वारा की जायेगी। पन विद्युत क्रय बाध्यता (एचपीओ) की पूर्ति केवल 8 मार्च, 2019 के पश्चात् प्रारम्भ हुयी पन विद्युत परियोजनाओं (पीएसपी और लघु पन पम्पों(एसएचपी) सहित) से उत्पादित ऊर्जा द्वारा की जायेगी। अन्य आरपीओ की पूर्ति किसी अक्षय ऊर्जा आधारित / हरित ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजना जिसका पवन आरपीओ और एचपीओ में उल्लेख नहीं किया गया है, से उत्पादित ऊर्जा द्वारा की जायेगी।

बशर्ते यह भी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे, सभी पन विद्युत परियोजनाओं (एचपीपी) से ऊर्जा को यथा आरपीओ का अंश माना जायेगा। उपरोक्त सारणी के अनुसार, एचपीओ प्रक्षेपवक्र 8 मार्च, 2019 के पश्चात् चालू हुये सभी एलएचपी के लिये जारी रहेगा। 8 मार्च, 2019 से पहले कमीशन हुये सभी अन्य एचपीपी से निशुल्क विद्युत सहित एचपीपी से ऊर्जा को 'अन्य आरपीओ' की श्रेणी के अन्तर्गत 'आरपीओ' के यथा अंश माना जायेगा।

बशर्ते यह भी कि अक्षय क्रय बाध्यता की गणना विद्युत के कुल उपभोग के यथा प्रतिशत ऊर्जा के संदर्भ में की जायेगी।

बशर्ते यह भी कि राज्य/डिस्कॉम के एचपीओ के दायित्व की पूर्ति, उस समय के समझौते के अनुसार स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के प्रति अंशदान को छोड़कर, यदि राज्य / डिस्कॉम के भीतर उपभोग की गयी हो, 8 मार्च, 2019 के पश्चात् प्रारम्भ हुयी पन विद्युत परियोजनाओं (पीएसपी और लघु पन पम्पों (एसएचपी) सहित) से राज्य को दी जा रही निशुल्क ऊर्जा से की जायेगी। निशुल्क विद्युत (वह नहीं जो स्थानीय क्षेत्र विकास को अंशदान की गयी) एचपीओ लाभ लिये योग्य होगी।

बशर्ते यह भी कि यदि ऊपर उल्लिखित निशुल्क एचपीओ के दायित्वों की पूर्ति लिये अपर्याप्त है, तो वचनबद्ध इकाई को अपने एचपीओ के दायित्व को पूरा करने के लिये अतिरिक्त पन विद्युत का क्रय करना होगा या पन विद्युत के अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की तत्समान मात्रा क्रय करनी होगी।

बशर्ते यह भी कि एचपीओ/ अन्य अक्षय ऊर्जा विद्युत बाध्यता के अनुपालन को सुगम बनाने के लिये पन विद्युत / अन्य अक्षय ऊर्जा विद्युत के अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र क्रियाविधि, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) द्वारा निर्दिष्ट तंत्र के अनुसार होगी।

बशर्ते यह भी कि पन परियोजनाओं की संशोधित कमीशनिंग अनुसूची के आधार पर एचपाओ प्रक्षेप वक्र को वार्षिक आधार पर टू-अप किया जायेगा।

बशर्ते यह भी कि 'अन्य आरपीओ' के मामले में, किसी विशेष वर्ष में अन्य आरपीओ' श्रेणी की उपलब्धि में शेष रही किसी कमी की पूर्ति या तो उस वर्ष के लिये पवन आरपीओ' से 31 मार्च, 2022 के पश्चात् प्रारम्भ हुयी पवन विद्युत परियोजना से पवन आरपीओ से अधिक ऊर्जा के उपभोग से या उस वर्ष के लिये 'एचपीओ' से 8 मार्च, 2019 के पश्चात् प्रारम्भ हुयी योग्य पन विद्युत परियोजनाओं (पीएसपी और लघु पन विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय क्रय पम्पों(एसएचपी) सहित) से एचपीओ से अधिक ऊर्जा के उपभोग से या अंशतः दोनों से की जा सकती है। अग्रतर, किसी विशेष वर्ष में 'पवन आरपीओ' की उपलब्धि में किसी भी कमी की पूर्ति पन विद्युत संयंत्रों से अतिरिक्त ऊर्जा के उपभोग जो उस वर्ष के लिये 'एचपीओ' से अधिक है, से की जा सकती है या इसके विपरीत क्रम से भी।

बशर्ते यह भी कि भारत के बाहर से आयतित पन विद्युत से, एचपीओ की पूर्ति के लिये विचार नही किया जायेगा।

(2) 1 मेगावाट और अधिक क्षमता वाले सीपीपी और खुला अभिगम उपभोक्ताः

क्र. सं.	वर्ष	कुल अक्षय क्रय बाध्यता
1	2024-25	29.91%
2	2025-26	33.01%
3	2026-27	35.95%
4	2027-28	38.81%
5	2028-29	41.36%
6	2029-30	43.33%

बशर्ते यह कि 01.04.2016 से पूर्व प्रारम्भ किये गये सीपीपी के लिये, आरपीओ वर्ष 2015-16 हेतु आयोग द्वारा यथा आदेशाधीन स्तर पर होगा। 01.04.2016 के पश्चात् प्रारम्भ किये गये सीपीपी के लिये, आरपीओ, सीपीपी के चालू होने के वर्ष हेतु आयोग द्वारा यथा आदेशाधीन स्तर पर लागू होगा।

बशर्ते यह भी कि क्षमता में किसी भी वृद्धि के मामले में, संवर्धित क्षमता पर जिस वर्ष में सीपीपी का संवर्धन किया गया है उस वर्ष के लिये प्रयोज्य आरपीओ लगेगा।

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामलें में जहां आरपीओ के दायित्व की पूर्ति के लिये सीपीपी के पास अपने उपभोग की आवश्यकता से अधिक अधिशेष विद्युत है, तो ऐसा सीपीपी अपनी अधिशेष विद्युत का विद्यमान व्यवस्थाओं के अधीन, यदि कोई हो, डिस्कॉमों को या पावर एक्सचेंज में विक्रय कर सकेगा।

(3) ऊर्जा भण्डारण बाध्यता (ईएसओ):

मानित अनुज्ञप्तिधारी सहित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिये उपभोग की गयी कुल ऊर्जा का निम्नलिखित प्रतिशत भण्डारण के माध्यमे से/ साथ सौर/पवन ऊर्जा होगीः

क्र. सं.	वर्ष	भण्डारण (उर्जा आधार पर)
1	2024-25	1.5%
2	2025-26	2.0%
3	2026-27	2.5%
4	2027-28	3.0%
5	2028-29	3.5%
6	2029-30	4.0%

बशर्ते कि ऊर्जा भण्डारण बाध्यता की गणना विद्युत के कुल उपभोग के यथा प्रतिशत के संदर्भ में की जायेगी और इसकी पूर्ति तब ही मानी जायेगी जब वार्षिक आधार पर, ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (ईएसएस) में संग्रहीत कुल ऊर्जा का कम से कम 85 प्रतिशत नवीकरणयी ऊर्जा स्त्रोतों से क्रय किया गया है।

बशर्ते यह भी कि ऊर्जा भण्डारण बाध्यता को अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों से संग्रहीत की गयी ऊर्जा की सीमा तक कुल आरपीओ की पूर्ति के यथा अंश विचारित किया जायेगा।

बशर्ते यह भी कि व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नयी ऊर्जा भण्डारण प्रौद्योगिकियों और बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (बीईएसएस) की लागत में परिवर्तन का समायोजन करने के लिये और पीएसपी क्षमता के प्रारम्भण/ परिचालन पर विचार करते हुये, ऊर्जा भण्डारण बाध्यता की, नियतकालिक रूप से, पृथक आदेश के माध्यम से समीक्षा की जायेगी।

4. अक्षय क्रय बाध्यता (आरपीओ) का अनुपालनः

आरपीओ लक्ष्य का अनुपालन साथ ही इसके अपालन के लिये शास्ति, विद्युत अधिनियम, 2003 और इस संबंध में आयोग द्वारा बनाये गये विनियमों अर्थात् राविविआ (अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र तथा अक्षय क्रय बाध्यता अनुपालन ढाँचा) विनियम, 2010, समय-समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों से शासित होंगे।

6. कठिनाईयों को दूर करने की शक्तिः

यदि इन विनियमों के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई भी कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग स्वप्रेरणा से या याचिका किये जाने पर, सामान्य या विशिष्ट आदेश से, अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न होने वाले ऐसे प्रावधान, जो कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक लगते हों, बना सकता है।

7. शिथिल करने की शक्तिः

आयोग लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के लिये और शिथिलता प्रदान करने से प्रभावित होने वाले सम्भावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, स्वप्रेरणा या हितबद्ध व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा किये गये आवेदन पर, इन विनियमों के उपबंधों के किसी उपबंध को, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगा।

8. संशोधन करने की शक्तिः

आयोग, किसी भी समय इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को परिवर्तित, आशोधित या संशोधित कर सकता है।

आयोग की आज्ञा से,

सचिव।

RAJASTHAN ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, JAIPUR
NOTIFICATION
Jaipur, June13, 2023

No. RERC/Secy/Reg/ 148 .-In exercise of the powers conferred by section 86(1) (e) read with section 181 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) after previous publication, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission makes the following Regulations, namely:

1. Short title and commencement:

(i) These regulations will be called the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation) Regulations, 2023 and shall come into force from 01.04.2024 after their publication in the Official Gazette.

(ii) For the period prior to 01.04.2024, the Renewable Energy Obligation as specified in RERC (Renewable Energy Obligation) Regulation, 2007 & other relevant Regulations as amended from time to time, shall remain applicable.

2. Definitions:

In these regulations unless the context otherwise requires;

i. "Act "means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), including amendments thereto;

ii. "Commission" means the Rajasthan Electricity Regulatory Commission;

iii. Captive power plants or "CPP" shall have the same meaning as assigned in RERC (CPP) Regulations 2010 as amended from time to time.

iv. Renewable Energy or "RE" is the energy generated from the Renewable Energy Sources ;

v. "Renewable Energy Sources" means renewable source of energy such as water, wind, sunlight, biomass, bagasse, municipal solid waste and other such sources as approved by the MNRE from time to time and shall include cogeneration ;

vi. All other words & expressions appearing in these regulations and not defined in these Regulations shall bear the same meaning assigned to them in the following order:

(a) RERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff from Renewable Energy Sources) Regulations, 2020 as amended from time to time

(b) The RERC (CPP) Regulations, 2007 as amended from time to time.

(c) The Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2016 as amended from time to time.

(d) RERC (Renewable Energy Certificate and Renewable Purchase Obligation Compliance Framework) Regulations, 2010 as amended from time to time.

(e) The Electricity Act, 2003 and as amended time to time.

3. Applicability:

These Regulations will be applicable to the following -

i. Distribution licensee including deemed licensee;

ii. Open Access (OA) consumer;

iii. Captive Power Plant (CPP) of installed capacity 1 MW and above.

4. The minimum Renewable Purchase Obligations for the obligated entities shall be as under:

(1) Distribution Licensee including deemed licensee:

S.No.	Year	Wind RPO	HPO	Other RPO	Total RPO
1	2024-25	2.46%	1.08%	26.37%	29.91%
2	2025-26	3.36%	1.48%	28.17%	33.01%
3	2026-27	4.29%	1.80%	29.86%	35.95%
4	2027-28	5.23%	2.15%	31.43%	38.81%
5	2028-29	6.16%	2.51%	32.69%	41.36%
6	2029-30	6.94%	2.82%	33.57%	43.33%

Provided that Wind RPO Shall be met by energy produced from Wind Power Projects (WPPs) commissioned after 31.03.2022 and the wind energy consumed over and above 7% from WPPs commissioned till 31.03.2022. Hydro power Purchase Obligation (HPO) shall be met only by energy produced from Hydro Power Projects (Including PSPs and Small Hydro Pumps (SHPs)), commissioned after 8th March 2019. Other RPO may be met by energy produced from any RE based /green energy based power project not mentioned in Wind RPO and HPO.

Provided further that from FY 2024-25 onwards, the energy from all Hydro Power Projects (HPPs) will be considered as part of RPO. The HPO trajectory, as per above table will continue to prevail for LHPs commissioned after 8th March 2019. Energy from all other HPPs including free power from HPPs commissioned before 08.03.2019 will be considered as part of 'RPO' under category of 'other RPO'.

Provided also that RPO shall be calculated in energy terms as a percentage of total consumption of electricity.

Provided also that HPO obligation of the State/Discom could be met out of the free power being provided to the State from Hydro Power Projects (Including PSPs and Small Hydro Pumps (SHPs)), commissioned after 08.03.2019 as per agreement at that point of time excluding the contribution towards Local Area Development Fund (LADF), if consumed within the State/Discom. Free power (not that contributed for Local Area Development) shall be eligible for HPO benefit.

Provided also that in case the free power mentioned above is insufficient to meet the HPO obligations, then the obligated entity would have to buy the additional hydro power to meet its HPO obligation or may have to buy corresponding amount of Renewable Energy Certificate corresponding to Hydro Power.

Provided also that the Renewable Energy Certificate mechanism corresponding to Hydro Power/Other RE Power to facilitate compliance of HPO/Other RE Power obligation shall be in accordance with mechanism specified by Central Electricity Regulatory Commission (CERC).

Provided also that the HPO trajectory shall be trued up on an annual basis depending on the revised commissioning schedule of Hydro projects.

Provided also that in case of 'Other RPO', any shortfall remaining in achievement of 'Other RPO' category in a particular year can be met with either excess energy consumed from wind power projects, commissioned after 31st March 2022 beyond

'Wind RPO' for that year or with, excess energy consumed from eligible Hydro Power Projects (Including PSPs and Small Hydro Pumps (SHPs), commissioned after 8th March 2019 beyond 'HPO' for that year or partly from both. Further any shortfall in achievement of 'Wind RPO' in a particular year can be met with excess energy consumed from Hydro Power Plants, which is in excess of 'HPO' for that year and vice versa.

Provided also that hydro power imported from outside India shall not be considered for meeting HPO.

(2) CPP & OA Consumers with 1 MW and above:

The RPO for the CPP & OA Consumers with 1 MW and above shall be as under:-

S.No.	Year	Total RPO
1	2024-25	29.91%
2	2025-26	33.01%
3	2026-27	35.95%
4	2027-28	38.81%
5	2028-29	41.36%
6	2029-30	43.33%

Provided that for CPPs commissioned before 1.04.2016, RPO shall be at the level as mandated by the Commission for the year 2015- 16. For CPPs commissioned from 1.04.2016 onwards, the RPO level as mandated by the Commission for the year of commissioning of the CPP shall be applicable.

Provided further that in case of any augmentation in the capacity, the RPO for augmented capacity shall be the RPO applicable for the year in which the CPP has been augmented.

Provided also that in case, for meeting the RPO obligation, CPP has surplus power than its consumption requirement, such a CPP may sell its surplus power to the DISCOMs under the prevailing arrangements, if any, or in the power exchange.

(3) Energy Storage Obligation (ESO):

For the Distribution Licensee including the deemed licensee the following percentage of total energy consumed shall be solar/wind energy along with/through storage:

S.No.	FY	Storage (on Energy basis)
1	2024-25	1.5%
2	2025-26	2.0%
3	2026-27	2.5%
4	2027-28	3.0%
5	2028-29	3.5%
6	2029-30	4.0%

Provided that Energy Storage Obligation shall be calculated in energy terms as a percentage of total consumption of electricity and shall be treated as fulfilled only when at least 85% of total energy stored in the Energy Storage System (ESS), on an annual basis, is procured from renewable energy sources.

Provided further that the Energy Storage Obligation to the extent of energy stored from RE source shall be considered as a part of fulfilment of total RPO.

Provided also that the Energy Storage Obligation shall be reviewed periodically, through a separate order, considering the commissioning/ operation of PSP capacity, to accommodate any new promising commercially viable Energy Storage technologies and also change in cost of Battery Energy Storage System (BESS).

5. Compliance of RPO

Compliance of RPO target including penalty for non-compliance thereof shall be governed by the provisions of the Electricity Act , 2003 and the Regulations made by the Commission in this regard i.e. RERC (Renewable Energy Certificate and Renewable Purchase Obligation Compliance Framework) Regulations, 2010 as amended from time to time.

6. Power to remove difficulties:

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may either suo-motu or on a petition, by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act as may appear to be necessary for removing the difficulty.

7. Power to Relaxation:

The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected may relax any

of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by interested person(s).

8. Power to amend:

The Commission may, at any time, vary, alter, modify or amend any provisions of these Regulations.

By Order of the Commission

Secretary

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।